कार्यालय वन वृत्त शहडोल-484001 (मध्यप्रदेश)

PHONE-245361 FAX-240189 E_MAIL- ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक/माचि/2021/ 7712 शहडोल, दिनांक 10-11-2021

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
वनमंडल अनूपपुर (म.प्र.)

विषय — **अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई के 1x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना–इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हे. वनभूमि म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड को उपयोग में देने बावत् (PROPOSAL NUMBER-FP/MP/THE/130772/2021)**

संदर्भ — आपका पत्र क्रमांक/माचि./2021/1482 दिनांक 25.10.2021.

.☆☆☆.

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र से आपके द्वारा प्रेषित अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 1x660 मेगावाट क्रिटिकल इकाई की स्थापना इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हे. वनभूमि म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नानुसार त्रुटियाँ/ कमियाँ पायी गयी है :–

1- आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव की हार्ड कॉपी में संलग्न ऑनलाईन प्रिंट के पत्रक "ए" के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत सील एवं दिनांक अंकित नहीं है।

2- आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव की हार्डकॉपी में संलग्न वनक्षेत्र का विवरण प्रस्तावित वनकक्ष क्रमांक 82 उल्लेख है जबकि वनमंडलाधिकारी द्वारा 401 उल्लेख किया गया है।

3- न्यायालय कलेक्टर, जिला अनूपपुर के आदेश क्रमांक/59 अ–19(3) 2019–20 दिनांक 26.02.2021 प्रस्तावित वनभूमि के बदले में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम चचाई आबाद तहसील –अनूपपुरकी 6 किता कुल रकवा 10.884 हेक्टेयर का उल्लेख है जबकि आवेदक संस्थान द्वारा 05 किता कुल 10.429 हेक्टेयर का उल्लेख किया है, स्पष्ट करें।

4- आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी गैर वनभूमि हार्ड कॉपी में संलग्न खसरों के खसरा बार एवं रकवे का मिलान नहीं हो रहा है।

5- आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी गैर वनभूमि खसरावार संलग्न मैप में राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी ने हस्ताक्षर एवं सील अंकित नहीं है।

6- वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव की हार्डकॉपी में संलग्न भाग–।। के ऑनलाईन प्रिंट के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर व सील अंकित नहीं है।

7- प्रस्ताव की हार्डकॉपी में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि को खसरावार राजस्व मैप में दर्शित कर संलग्न नही है।

--2--

8- प्रस्ताव की हार्डकॉपी की पेज नम्बरिंग नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार कमियों/त्रुटियों की पूर्ति प्रस्ताव ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी वापस किया जाता है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

प्रस्ताव 04 प्रतियों में।

(पी.के.वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)

पृ.क्रमांक/माचि/2021/ 7713 शहडोल, दिनांक 10-11-2021

प्रतिलिपि—

1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2- कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग—2, अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)